

27

Government of Chhattisgarh

Labour Department
Dau Kalyansingh Bhawan, Mantralaya, Raipur

Notification

Raipur, Dated: 26.6.03

No. F 11-7/03/16/

In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 3 of the Chhattisgarh Shops & Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) that State Government shall not apply the provision of section 9 and 13 in the case of all Information Technology commercial establishment engaged in software development and all commercial establishments providing Information Technology Enabled Service (ITES) and which are situated in Chhattisgarh provided, however, that every employee shall be allowed a paid weekly holiday.

By order and in the name
of Governor of Chhattisgarh

M. S. Murthy

(M. S. Murthy)
Secretary
Govt. Of Chhattisgarh
Labour Department

96

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक: 26.6.03

क्रमांक एफ 11-7/03/16/

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (सन् 1958 का क्रमांक 25) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निर्देशित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित समस्त सॉफ्टवेयर विकास करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी वाणिज्य स्थापनाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदान करने वाली स्थापनाओं के मामले में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 13 के उपबंध लागू नहीं होंगे, परंतु यह कि प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(एम. एस. मूर्ति)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग